कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2753/ FP/UK/ROAD/12710/2015 देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बालीघाट धरमघर मोटर मार्ग के खन्तोली पुल से गुरगुच्चा प्राइमरी पाठशाल तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–12710/2015)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 23.12.2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **बैठक दिनांक 23.12.2020** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :–

Sn	Querry	Querry Removed
1	राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में बिलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	उक्त बिन्दु पर प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में तकनीकी कारण से प्रस्ताव नहीं खुल पा रहा था। आई0टी0सैल दिल्ली से सर्म्पक किया गया उनके द्वारा प्रस्ताव को ठीक किया गया। जिस कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने की विलम्ब हुआ। मार्गदर्शी के पैरा 1.20 के अनुसार कार्यवाही की गई है। कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2	राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति एवं उपलब्ध Road network को KML file पर अंकित कर कार्यालय की ई–मेल पर प्रेषित करे।	प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है, कि Road network को KML file पर अंकित कर दिया गया है।
3	राज्य सरकार द्वारा alternate परीक्षण पर पार्ट–1 para D पर सूचनार्थ प्रस्तुत की गयी है साथ ही के0एम0एल0 फाईल पर भी परीक्षण से यह ज्ञात होता कि मार्ग के अन्तः बिन्दु पर प्राथमिक पाठशाला है जहॉ तक मार्ग को ले जाया जा रहा है किन्तु प्रस्तावित प्रारम्भिक बिन्दु जो कि existing मार्ग को किमी0 20 पर जोड़ता है के अतिरिक्त ज्यादा सुविधा जनक अन्तिम बिन्दु से existing मार्ग (बागेश्वर दोफाड़ धरमघर मार्ग) को जोड़ना ज्यादा सुविधाजनक प्रतीत होता है, जिससे पाठशाला के साथ–साथ दर्शित आबादी भी अधिक सार्थक तरीके से मुख्य मार्ग से जुड पायेगी। अतः राज्य सरकार पुनरीक्षित समरेखण प्रस्तुत करें तथा तदनुसार प्रत्यावर्तन हेतु	प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 23.12.2020 को बैठक में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 19.01.2021 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता श्री सन्तोष कुमार डिप्टी रेन्जर श्री मान सिंह कोरंगा एवं श्री दीपक भौर्याल राजस्व विभाग द्वारा मोटर मार्ग के लिए दूसरे छोर से भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यस्थल पर ग्राम पलसों के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया क्योंकि इस स्थान से ग्रामीणों की नापभूमि अधिक प्रभावित हो रही है तथा भविष्य में दुर्धटना की आशंका व्यक्त की गयी है। (ग्रामीणों के आपत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति)।

	प्रस्तावित क्षेत्र, प्रभावित वृक्षों की संख्या, इत्यादि विवरण पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	
4	क्योकि प्रस्ताव को अधिक समय हो गया है एवं नये गाइर्डलाइन्स के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार जैसा कि पी0एम0जी0एस0वाई0 मानकों में निहित है average width 5.2m आवश्यक होती है जबकि राज्य सरकार द्वारा फिलिंग 9 मी0 पर दिखाई गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों की संशोधित details प्रेषित की जायें जो कि मार्ग के लिये RoW 5.2 m एवं मोड़ो पर 6.1 m हो।	प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है, कि ग्रामीणों के विवाद के कारण समरेखण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रस्ताव 9 मी0 में बनाया गया है। जबकि पेड़ों की गणना 7 मी0 में की गयी है, जिस कारण पातन किये जाने वृक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
5	राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा तीन वर्ष के अन्तराल पर इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर प्रेषित किया गया है, जो कि सही नहीं है। राज्य सरकार 30 दिन के भीतर उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करेगी।	प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है, कि बिन्दु संख्या–3 की आपत्ति के क्रम में पुनरीक्षित समरेखण हेतु संयुक्त निरीक्षण करवाने में समय लगने के कारण प्रस्ताव को 30 दिन के भीतर प्रेषित नहीं किया जा सका।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 19/5/24
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या /FP/UK/ROAD/12710/2015/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।